इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020—भाद्र 20, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ ए 3-27/2017/1/पाँच (53) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-27-2017-1-पांच (54) दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं , देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र°सं° (1)	**पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग** (2)	**ब्याज की दर** (3)	**कर अवधि** (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य ,मध्य प्रदेश राज्य ,गुजरात राज्य , महाराष्ट्र राज्य ,कर्नाटक राज्य , गोवा राज्य ,केरल राज्य , तमिलनाडु राज्य ,तेलंगाना राज्य ,आंध्र प्रदेश राज्य ,दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र ,पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र ,अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020
		3 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		6जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	अप्रैल, 2020
		12 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	मई, 2020
		23 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	जून, 2020
		27 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	जुलाई, 2020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. एफ-ए-3-27-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-27-2017-1-पांच (53), दिनांक 11 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th September 2020

No. F A 3-27/2017/1/V(53) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F A-3-27-2017-1-V-(54) dated the 30th June, 2017, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely : –

"Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below for the period mentioned therein, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, namely:--

Table

S. No. (1)	**Class of registered persons** (2)	**Rate of interest** (3)	**Tax period** (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter till 24th day of June, 2020	February, 2020, March 2020, April, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh	Nil till the 30th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	February, 2020
		Nil till the 3rd day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	March, 2020

	or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	Nil till the 6th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	April, 2020
		Nil till the 12th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	May, 2020
		Nil till the 23rd day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	June, 2020
		Nil till the 27th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	July, 2020

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.